**Closing down of aquaculture farms**

733. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Supreme Court has recently ordered closing down of aquaculture farms situated on coastal lines in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many aqua farms are likely to be closed down in Maharashtra in view of the judgment;

(d) whether Government have initiated steps to rehabilitate the affected workers of the aqua farms of Maharashtra; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The Supreme Court in its judgement dated 11.12.1996 has ordered that no shrimp ponds can be constructed or set up within the Coastal Regulation Zone (CRZ) as defined in the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 and the shrimp culture ponds already set up in the coastal Regulation Zone shall be demolished and removed before 31.3.1997. However, the Supreme Court's directions do not apply to the traditional and improved traditional types of technologies practised by the farming community in the coastal low lying areas. The Supreme Court has further directed that shrimp culture ponds outside Coastal Regulation Zone area may be set up with the prior approval of 'authority' set up under the Environment (Protection) act, 1986.

(c) It is informed by the Maharashtra Government that 107 aqua farms are likely to be closed down in the State in view of the Supreme Court's judgement.

(d) and (e) The State Government as well as the Central Government have filed a review petition in the Supreme Court seeking review of the judgement. The state Govt. has reported that no problem of rehabilitation of affected workers of the aqua farms has cropped up in the State.

**गुजरात में भू-संरक्षण योजना हेतु धनराशि का आवंटन**

734. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु कोई अनुरोध किया है;

(घ) राज्य में योजना को लागू किये जाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) क्या राज्यों के कुछ जिलों में योजना के अंतर्गत कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई है?

**कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र)**: (क) से (ग) गुजरात राज्य में मृदा संरक्षण के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०) एवं नदी घाटी परियोजनाओं (आर०वी०पी०) के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में समेकित पनधारा विकास परियोजना (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) भी क्रियान्वित की जा रही है जिसका वित्त पोषण विश्व बैंक कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित, जारी की गई एवं उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्षवार एवं योजनावार विवरण संलग्न है। (**नीचे** देखिए)

राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है।

(घ) एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए० के अंतर्गत 168 सूक्ष्म पनधाराओं में स्थित 3.34 लाख है० क्षेत्र को कवर किया गया है। आठवीं योजना के अंत तक इस क्षेत्र के एक बड़े भाग को संतृप्त कर लिए जाने की संभावना है।

नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक 94000 है० से भी अधिक क्षेत्र को संसाधित किया गया है।

समेकित पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 92000 है० क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ङ) राज्य के विभिन्न जिलों में योजनाएं बिना किसी रूकावट के चल रही हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि इन योजनाओं से राज्य के कुछ जिलों में कोई सलफता नहीं मिली है।